


# फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर, मावली, उदयपुर

प्रार्थी धनराज विपक्षी जासीराम  
 किस्म मुकदमा वाह पत्रावली संख्या 76/20 सन् \_\_\_\_\_

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर सूचनाएं जा
	<p>20/6/25                      वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप-<u>संजोशी कछु / तलबी / पत्राव</u>                      के लिखे मौकन चाहते है। अतः <u>जासीराम</u>                      अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. <u>18/8/25</u>                      को पेश हो।                      (SDO) मावली</p>	
	<p>18/8/25                      वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप-<u>संजोशी कछु / तलबी / पत्राव</u>                      के लिखे मौकन चाहते है। अतः <u>जासीराम</u>                      अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. <u>20/8/25</u>                      को पेश हो।                      (SDO) मावली</p>	
	<p>20/08/25                      पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी मय वादी                      अनुपस्थित। अधिवक्ता वादी मय वादी को बार-बार                      आवाजे दिलवाई गई। समय साँच 5:00 PM हो चुके                      हैं। अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी अब तक अनुपस्थित                      हैं। पत्रावली के अवलोकन से पकरण वर्तमान में तलबी                      में लम्बित हैं। अधिवक्ता वादी को तलबी एवं संबोधित                      शीर्षक पेश करने हेतु लगभग 2 वर्ष का समय दिया                      जा चुका है परन्तु इतना समय दिये जाने पर भी तलबी                      एवं संबोधित शीर्षक पेश नहीं किया गया। इससे स्पष्ट                      जाहिर होता है कि वादी एवं उनके अधिवक्ता अपने                      वाद के प्रति सजग नहीं हैं एवं साथ पकरण को लम्बित                      करना चाह रहे हैं। आज भी वादी एवं उनके अधिवक्ता                      अनुपस्थित रहे हैं। अतः अधिवक्ता वादी मय स्वयं                      वादी अनुपस्थित रहने पर वादी का वाद अदम हासिली                      अदम पैरवी में खारिज किया जा रहा है। पत्रावली फंसल                      शुमार होकर नम्बर से कम हो।                      निर्णय शुद्ध न्यायालय सुनाया गया।</p>	



सहायक कलेक्टर  
 (SDO) मावली